फा.सं. ए.12028/01/2023-डीआरएस
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषध विनियमन अनुभाग)
****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 6 मार्च, 2023

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध प्रयोगशाला (सीडीएल), कोलकाता, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक तथा उप निदेशक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के मसौदों को तैयार कर लिया गया है, जिनकी प्रति संलग्न हैं।

2. इन्हें अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व, इस मामले में सभी हितधारको से टिप्पणी, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के अन्दर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विर्निर्दिष्ट समय के अन्दर प्राप्त होनेवाली टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियम/अपेक्षा के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा।

3. अपने टिप्पणियाँ कृपया अधोहस्ताक्षरी को, कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली- 110011 के पते अथवा bikash.mahato@nic.in पर भेजें।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहातो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 011-23061141

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1*(2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा/समूह ‘क’, राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -13	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति** ऐसे उप निदेशक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 की श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:	समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य -अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य 3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, नई दिल्ली	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में नियुक्ति के पश्चात पद पर पाँच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; **(ख)** जिनके पास निम्नानुसार विहित अनिवार्य /वांछनीय शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हैं: **अनिवार्य**: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या केमिस्ट संस्थान की एसोसिएटशिप से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री। **वांछनीय**: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या केमिस्ट संस्थान की एसोसिएटशिप से रसायन विज्ञान या बायोकैमिस्ट्री या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री। **अनुभव**: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में बारह वर्ष का अनुभव। टिप्पण1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों	-सदस्य 4. औषध नियंत्रक (भारत)/संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य	

	और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

[फा.सं.ए.12028/01/2023-डीआरएस]

)बिकाश आर माहतो(

अवर सचिव,भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक	2* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा/ समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	**स्तर** - 12	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैतो उसकी संरचना ,	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति** ऐसे सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 की श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: **(क)** (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय- सदस्य ; 3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, नई दिल्ली - सदस्य ; 4. औषध नियंत्रक (भारत)/संयुक्त औषध	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात पद पर पाँच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; **(ख)** जिनके पास निम्नानुसार विहित अनिवार्य /वांछनीय शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हैं: **अनिवार्य**: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या केमिस्ट संस्थान की एसोसिएटशिप से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री। **अनुभव**: औषध परीक्षण और मानकीकरण और अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव। **टिप्पण1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नियंत्रक (भारत) - सदस्य ।	

[फा.सं. ए.12028/01/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार